

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 97 / प्र०अ०—भवन / जौन—३ / २०११—१२ दिनांक २७ / ०३ / २०१२

### विनियमितीकरण

यह विनियमितीकरण उ०प्र०० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा ३२ के अन्तर्गत विनियमित किये जा रहे हैं, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित व्यवसायिक / आवासीय भवन मानचित्र विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री राकेश चन्द्र केसरवानी पुत्र श्री सुरेश चन्द्र स्थल भवन संख्या—९९०, पुराना १४५६ नया (पार्टी) मुद्रठीगंज, इलाहाबाद जौन संख्या (३) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायिक / आवासीय भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :—

- उ०प्र०० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ए (१) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि २००८ में उपविधि संख्या—२.१.८ एवं ३.१.८ में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण—पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
- स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- स्थल पर एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
- स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य स्वतः पूर्ण करना होगा।
- द्वितीय तल पर २.६५ वर्गमीटर के अशमनीय भाग जो विनियमित मानचित्र पर हरे रंग से दर्शित किया गया है, इसे विनियमित मानचित्र प्राप्त होने के १५ दिन के अन्तर्गत आपको स्वतः हटवा कर विकास प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
- यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०प्र०० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ (९) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
- यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भूखण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ०विं०प्र०० द्वारा नियमानुसार उ०प्र०० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर १५ दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवरथा जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम १९५६ (इण्डियन इलेक्ट्रिस्टी रूल्स १९६५) नियम ८२ का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
- आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
- यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

१०/३/२०१२  
(सीमा सिंह)  
संयुक्त सचिव / प्र०अ०—भवन  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,  
इलाहाबाद

१०/३/२०१२  
संयुक्त सचिव / प्र०अ०—भवन  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,  
इलाहाबाद

—  
১৯৭১. দ্য. ২০।

|  |  |  |
|--|--|--|
| $\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट<br>$\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट |  | $\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट<br>$\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट |
| $\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट<br>$\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट |  | $\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट<br>$\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट |
| $\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट<br>$\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट |  | $\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट<br>$\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट |
| $\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट<br>$\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट |  | $\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट<br>$\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट |
| $\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट<br>$\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट |  | $\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट<br>$\frac{1}{2} \times 10^3$ लीटर/मिनट |

A hand-drawn architectural floor plan of a house. The plan includes various rooms labeled: 'HALL', 'BATH', 'KITCHEN', 'LIVING ROOM', 'BED ROOM', 'BED ROOM', and 'BED ROOM'. The overall width of the house is indicated as 15' 5". The front entrance has a porch area. The plan shows internal walls and doorways, with specific dimensions like 4' 2" for a hallway and 6' 5" for a room. A vertical dimension of 10' is also noted.

**FIRST FLOOR PLAN**

The floor plan shows the layout of the first floor with the following dimensions and room details:

- Rooms:**
  - Room 1: 4.03 x 3.50 m.
  - Room 2: 4.03 x 3.50 m. (shaded green)
  - Room 3: 2.71 x 2.80 m.
  - Room 4: 2.71 x 2.80 m.
  - Room 5: 2.71 x 2.80 m.
  - Room 6: 2.71 x 2.80 m.
  - Room 7: 2.71 x 2.80 m.
  - Veranda: 1.50 x 2.00 m.
- Kitchen:** 2.75 x 1.80 m.
- Bathroom:** 2.00 x 1.50 m.
- Lobby:** 2.75 x 2.00 m.
- STONE:** 2.75 x 1.80 m.
- Cupboard:** 1.50 x 0.80 m.
- Open Area:** 2.20 x 2.20 m.
- Staircase:** 2.00 x 1.50 m.
- Dimensions:** Total width = 10.00 m; Total depth = 10.00 m.
- Notes:** A vertical orange line is drawn through the center of the building, labeled "Central Axis". An arrow points to Room 2 with the label "each axis".

Architectural floor plan diagram with the following dimensions and features:

- Overall width: 14' 26" (170 inches)
- Overall depth: 44' 5" (533 inches)
- Rooms and dimensions:
  - Front Room:** 11' 1" x 11' 4"
  - Hall:** 4' 0" x 9' 7"
  - Kitchen:** 10' 0" x 12' 8"
  - Back Room:** 11' 1" x 11' 4"
- Walls and doorways:
  - Front wall: 14' 26" (170 inches)
  - Left wall: 44' 5" (533 inches)
  - Right wall: 44' 5" (533 inches)
  - Depth of kitchen: 12' 8" (156 inches)
  - Width of back room: 11' 1" (133 inches)
  - Width of front room: 11' 4" (136 inches)
  - Width of hall: 9' 7" (115 inches)
  - Width of kitchen: 10' 0" (120 inches)
  - Width of left wall: 44' 5" (533 inches)
  - Width of right wall: 44' 5" (533 inches)
  - Width of front wall: 14' 26" (170 inches)
- Doors and windows:
  - Front door: 3' 7 1/2" x 3' 5 1/2"
  - Back door: 3' 7 1/2" x 3' 5 1/2"
  - Left door: 3' 7 1/2" x 3' 5 1/2"
  - Right door: 3' 7 1/2" x 3' 5 1/2"
  - Central doorway: 3' 7 1/2" x 3' 5 1/2"
- Other features:
  - Stairs: Located on the right side of the plan.
  - Windows: Located on the right side of the plan.

| KEY PLAN                 |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Callout<br>EVIC          | WHEEL RO                 |
| LOLO                     | LOLO                     |
| 9pm                      | 9pm                      |
| Shangzhan, March 12 2015 | Shangzhan, March 12 2015 |

GROUND FLOOR PLAN

EXIST.

Dimensions: 17' 20" width by 20' height.

Rooms and dimensions:

- Living Room: 12' x 14'
- Dining Room: 8' x 10'
- Kitchen: 7' x 10'
- Bath: 5' x 7'
- Bedroom: 12' x 14'
- Staircase: 3' x 10'
- Total width: 17' 20"
- Total depth: 20'

Exterior dimensions: 17' 20" width by 20' height.

FRONT ELEVATION

Dimensions: 17' 20" width by 20' height.

Rooms and dimensions:

- Living Room: 12' x 14'
- Dining Room: 8' x 10'
- Kitchen: 7' x 10'
- Bath: 5' x 7'
- Bedroom: 12' x 14'
- Staircase: 3' x 10'
- Total width: 17' 20"
- Total depth: 20'

|   |   |
|---|---|
| <p><u>Existing &amp; Coming Building Plan of House</u></p> <p>No- 990 (Old), 1456 (New), Part portion, At.</p> <p>MOHALLA- MUTHI GANJ, PERGANIA &amp; TELSHI<br/>SADAR, DISTT- ALLAHABAD.</p> | <p><u>Concerned</u></p> <p>FARZ- 2, 200 Acre.</p> |
|---|---|

SRI RAVESH CHANDRA KESHAV WANI  
S/o SRI SURESH CHANDRA AARYA

*for convenience*

**A.K. BUILDING EXPERT  
ANIL KUMAR GUPTA**  
(Civil Engg.)  
(Off) 566/480, Shaheed Gari, Allahabad  
